

अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
कोटपुलली (जयपुर)

दिनांक को संदे इजलास सुनाया गया है।

निर्णय लिखवाया जाकर आज 23/11/2016

दफतर ही।

होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ला दखिल जाकर पत्रावली खारिज की जाती है। पत्रावली फंसल सुमार है। अतः प्रोकरा सरकार द्वारा प्रस्तुत दरखास्त स्वीकार की अग्रिम कार्यवाही की जाने का कोई अधिकार प्रतीत नहीं होता। मन्सूख हो गया है तो प्रश्नगत प्रकरण में किसी प्रकार की आवंटन ही माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से स्वतः ही में मन्सूख हो जाना स्वीकार किया है। अब जब अपीलार्थी 3374/2005 में पारित आदेश दिनांक 05/5/2006 के परिपेक्ष न्यायालय राजस्थान बेंच जयपुर द्वारा रिटपिटीशन सं. अलाटमैन्ट आदेश दिनांक 29/8/1978 माननीय उच्च विवाहित भूमि से सम्बन्धित रेस्पॉन्डेंट्स के हक में किया गया किया है। अब अपीलार्थी की ओर से प्रोकरा सरकार ने उक्त भू-आवंटन की शर्तों की अनुपालना नहीं की जाना जाहिर प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी विवाहित भूमि का आवंटी रेस्पॉन्डेंट्स को भू-आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा कृषि अवलोकन किया। अपीलान्त की ओर से पत्रावली पर प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, पत्रावली के तथ्यों एवं रिकॉर्ड शाहदत का हमने प्रोकरा सरकार के कथनों पर विचार किया तथा

छाया प्रति आदि रिकॉर्ड दर्खावेजात पेश किये।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 05/5/2006 की का निस्तारण कर दिया जावे। अपने कथन के समर्थन में सम्बन्धित भू-आवंटन आदेश मन्सूख हो गया है। अतः प्रकरण निर्णय के परिपेक्ष में इस्तगत प्रकरण में वर्णित आराजी से राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक 05/5/2006 को पारित पिटीशन नम्बर 3374/2005 व उनवानी छोट एवं अन्य बनाम उच्च न्यायालय राजस्थान बेंच जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट प्रकरण में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय (नायब तहसीलदार कोटपुलली) ने उपस्थित होकर प्रश्नगत होल्डर तहसीलदार कोटपुलली की ओर से प्रोकरा सरकार पत्रावली पेश कियी। उभयपक्ष उपस्थित अपीलार्थी लैण्ड

23.11.16

विशेष विवरण

आज्ञा विस्तृत रूप से

दिनांक आज्ञा या  
कार्यवाही

56/2016

(Date 05/11/2016)